



न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा
 पीठासीन अधिकारी-राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा)-UP02008
जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 1233/2026
 (CNR No. UPET010042122026)

प्रदीप उर्फ गवदा उम्र 35 वर्ष पुत्र बाबूराम, निवासी ढकपुरा, थाना जैथरा, जिला एटा।

-----आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उ 0 प्र 0 राज्य

-----अभियोजक

मु 0 अ 0 सं 0-545/2020
 धारा-307 भा 0 द 0 सं 0
 थाना-जैथरा, जिला एटा।

10.07.2026

आवेदक/अभियुक्त प्रदीप उर्फ गवदा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-545/2020 अन्तर्गत धारा-307 भा 0 द 0 सं 0, थाना जैथरा, जिला एटा के मामले में जमानत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वह पूर्व में जमानत पर था। उसके विरुद्ध उपरोक्त मुकदमे में दिनांक 16.12.2025 को एन 0 बी 0 डब्लू 0 जारी हो गये क्योंकि अभियुक्त राजस्थान में रहकर मजदूरी करता था और नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका। उपरोक्त मुकदमे में आवेदक दिनांक 19.02.2026 को 309 द 0 प्र 0 सं 0 के वारंट पर जेल गया। उसके द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। आवेदक न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पर आता रहेगा और मुकदमा विचारण में सहयोग करेगा तथा न्यायालय के आदेश का पालने करेगा। उक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया गया है तथा तर्क किया गया है कि आवेदक जानबूझकर न्यायालय उपस्थित नहीं हुआ है, ताकि वाद की कार्यवाही अग्रसारित ना हो। आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के अधिवक्ता के तर्क सुने व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त को इस न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 215/2021 में पारित आदेश दिनांकित

03.02.2021 द्वारा जमानत पर रिहा किया था, दौरान विचारण वह गैर हाजिर हो गया। आवेदक/अभियुक्त का कथन है कि वह मेहनत मजदूरी करने राजस्थान चला गया था, जिस कारण वह न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका। प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र से समर्थित है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 19.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में वह प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **प्रदीप उर्फ गवदा** का जमानत आवेदन निम्न शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

- (i)- यह कि आवेदक/अभियुक्त अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।
- (ii)- यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 313 द०प्र०सं० के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
- (iii)- यह कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास हजार रुपये की दो जमानते व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियुक्त के पैरोकार को निर्देशित किया जाता है कि जमानत बन्धपत्र प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित करें कि जमानतदारों में से कम से कम **एक जमानतदार अभियुक्त का रिश्तेदार अथवा परिवार का सदस्य हो**, जिसके सम्बन्ध में इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

(राकेश धर दुबे)

दिनांक: 10.07.2026

सत्र न्यायाधीश, एटा।